

केंद्रीय सूचना आयोग,
Central Information Commission
बाबा गंगनाथ मार्ग /Baba Gangnath Marg
मुनिरका / Munirka,
नई दिल्ली-११००६७ / New Delhi-110067

No. 14/1/2017-CIC (RTI)/GA

Dated: 17.04.2018



सुश्री नीरजा,
द्वारा श्री शफीक अहमद, वकील
न्यू लॉएर्स चैम्बर,
नंबर ४०४, सुप्रीम कोर्ट ऑफ़ इंडिया,
नई दिल्ली

विषय: सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन.

महोदय,

उपरोक्त विषयक का आवेदन इस अनुभाग में आर टी आई अनुभाग से बिंदु संख्या २ के लिए प्रेषित किया गया मैं वांछित सूचना बिन्दुवार आग्रंकित हैं:-

२	ऐसी किसी प्रकार की सूचना का अनुरक्षण नहीं किया जाता हैं ।
---	---

उपरोक्त जवाब के विरुद्ध, यदि कोई प्रथम अपील हैं, इसके प्राप्ति के ३० दिनों के अन्दर प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्री आर. के. सिंह, अपर सचिव, केंद्रीय सूचना आयोग के समक्ष ऊपर उल्लिखित पते पर की जा सकती हैं ।

एस के रब्बानी

उप सचिव (सामान्य प्रशासन)

प्रति :

१. केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, RTI CELL (CICOM/R/2018/ 00249) 11/04. 16.3.2018

